भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4019

जिसका उत्तर दिनांक 18.03.2020 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा में निवेश

4019. श्री धर्मवीर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में घरेलू निवेश पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हरियाणा में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए संयंत्र लगाने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) वर्तमान में, देश में 6780 MW की कुल क्षमता वाले बाईस (22) रिएक्टर प्रचालनरत हैं । इसके अतिरिक्त, 6700 MW की कुल क्षमता वाले नौ (9) रिएक्टर वर्तमान में निर्माणाधीन हैं । सरकार ने जून 2017 में 9000 MW की कुल क्षमता वाले बारह (12) अन्य रिएक्टरों के लिए भी प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है ।

नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश ऋण से इक्विटी 70:30 के अनुपात में किया जा रहा है ।

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के इक्विटी भाग की निधि आंतरिक संसाधनों और सरकारी बजटीय समर्थन से प्रदान की जाती है ।

.....2/-

(ग) तथा (घ) वर्तमान नीति (सरकार की समेकित एफडीआई नीति) परमाणु ऊर्जा को निषिद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में रखती है । तथापि, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों और अन्य संबद्ध सुविधाओं के लिए उपकरण विनिर्माण करने और अन्य आपूर्तियाँ उपलब्ध कराने के लिए नाभिकीय उद्योग में एफडीआई पर कोई प्रतिबंध नहीं है । भारत सरकार ने वर्ष 2015 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन किया है जिससे नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एनपीसीआईएल के संयुक्त उद्यमों को लाइसेंस दिया जा सके । घरेलू निवेश बढ़ाने के लिए, एनपीसीआईएल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों - नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के साथ संयुक्त उद्यम बनाए गए हैं ।

(ङ) जी, हाँ ।

(च) प्रत्येक 700 MW वाले चार स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) गोरखपुर, फतेहाबाद जिला, हरियाणा में स्थापित किए जाने हैं । इन्हें दो-दो यूनिटों - जीएचएवीपी 1 एवं 2 (2 X 700 MW) तथा जीएचएवीपी 3 एवं 4 (2 X 700 MW) के दो चरणों में स्थापित किए जाने की योजना है । पहले चरण (जीएचएवीपी 1 एवं 2) का कार्य प्रगति पर है । सरकार ने जीएचएवीपी 3 एवं 4 के लिए भी प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है और पूर्व-परियोजना गतिविधियां प्रगति पर हैं । इन चार यूनिटों के वर्ष 2031 तक क्रमिक रूप से पूरा होने पर 2800 MW बिजली उत्पादन होगी ।

* * * * *